28/8/19	पत्रावली प्रस्तुत। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वादीगण ने जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 उपनियम उपबन्ध सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने भविष्य में दावा सुरक्षित रखते हुए इसी स्टेज पर दावा विड्रा के आधार पर निरस्त फरमाया जावे। वादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता राजकुमार चायल अधिवक्ता ने की। प्रतिवादीगण ने अनापत्ति पेश की है।	बिलाश [illegible] पश्चात्वर्ती [illegible]
	वादीगण के प्रार्थना पत्र विड्रा के आधार पर इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	28/8/19	